

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति  
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)दुर्घटना मृत्यु में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 166 दिनांक 27.04.18 द्वारा खाता संख्या 3240820631, आई. एफ.एस.सी CBIN0288607 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के आई.एफ.एस.सी गलत रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 166 दिनांक 27.04.18 के क्रमांक 01 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक 432 दिनांक 06.07.2018 द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, पिता/ पति का नाम | आश्रित का नाम/ संबंध     | जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता   | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी           | स्वीकृत अनुदान की राशि   | मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 1        | 2                                     | 3                        | 4  | 5   | 6                          | 7   | 8                        | 9  |
| 1        | स्व० महंत चौधरी, पि० वर्ग             | श्री नरसिंह चौधरी (पिता) | 182/16. 03.2018                            | ग्रा०-पड़रिया, पो०-सरसर, था०-मु० सिवान, प्र०-सिवान सदर, सिवान | 324082 0631                | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पचलखी, CBIN0283607 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर                  |

कुल :- ₹ 100000/-

(एक लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-13/2018 के पृष्ठ-27/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 166 दिनांक 27.04.18 के क्रमांक 01 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-13/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)


कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-13/2018-294


पटना, दिनांक :- 21-08-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
19/08/2019  
(अनुराधा कुमारी)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(के० सेंथिल कुमार)  
कार्यकारी निदेशक।